पटना नगर निगम

मौर्यालोक कॉम्पलेक्स, पटना।

पत्रांक ...11717.../

अंतिम स्मार-पत्र

प्रेषक,

निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

प्रेषित,

१) भू-स्वामी- श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह
२) विल्डर - प्रो०मे० संजय कुमार
दिव्या कन्सट्रक्शन, जस्टिस मण्डल पथ
न्यू पुनाईचक, राजवंशी नगर, पटना।

पटना, दिनांक 14/11...../2017

विषय :- **निगरानी वाद संख्या-13बी0/16 में दिये गये शपथ-पत्र का उल्लंघन करने के संबंध में।**

प्रसंग :- 1) इस कार्यालय का पत्रांक 6117 दिनांक 22.06.17 एवं 7867 दिनांक 17.08.17
2) मा0उ0 न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-17272/16 में पारित आदेश दिनांक 17.07.17
3) आपका आवेदन दिनांक 05.08.17

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय का पत्रांक 6117 दिनांक 22.06.17 एवं 7867 दिनांक 17.08.17 के क्रम में सूचित करना है कि जस्टिस मण्डल पथ, न्यू पुनाईचक स्थित निर्माण किये जा रहे भवन के विरूद्ध नगर आयुक्त के न्यायालय में दायर निगरानी वाद संख्या-13बी0/16 में दिनांक 27.08.16 को सुनवाई में आपको निर्देशित किया गया था कि कंडोनेशन, कम्पाउडिंग व अर्थ दण्ड सहित कुल मो0-7,75,902/- रू0 जमा कर दें। आपके द्वारा सुनवाई के क्रम में दिये गये कारण पृच्छा में यह उल्लेख किया गया है कि पूर्व में पाँच गुना अर्थ दण्ड को माननीय उच्च न्यायालय का समादेश याचिका संख्या 5393/2008 में दिनांक 11.10.12 को निरस्त कर दिया गया है एवं आपके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पाँच गुना अर्थ दण्ड की राशि के अलावे मूल राशि जमा करने को तैयार हैं। जिसपर आपको 1,30,000/- रू0 जमा करते हुए शेष राशि को दो महिने के अन्तराल पर तीन किस्तो में जमा करने का आदेश दिया गया था। जिसमें आपके द्वारा तत्काल 1,30,000/- रू0 प्राधिकार कोष में जमा किया गया तथा इस आशय का शपथ-पत्र भी दिया गया कि अतिरिक्त 05 गुना अर्थ दण्ड की समाप्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गयी है।

आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल की गयी सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-17272/16 में दिनांक 17.07.17 को आदेश पारित करते हुए उक्त याचिका को खारिज कर दी गयी है।

अत: आपको अन्तिम रूप से निर्देश दिया जाता है कि शेष बची राशि मो0- 7,75,902/- (-) 1,30,000/- = 6,45,902/- (छ: लाख पैतालिस नौ सौ दो) रूपये एक सप्ताह के अन्दर प्राधिकार (विघटित) कोष में जमा कर दें अन्यथा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की सुसंगत धाराओं के आलोक में कार्रवाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।

13.11.17

निगरानी पदाधिकारी
पटना नगर निगम।

" बेहतर हो पहचान अपना, विकसित राजधानी सुन्दर पटना"